

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 304/2025

1. ममता बिश्नोई पत्नी ईशान पूनिया जाति बिश्नोई निवासी ढाणी माजरा, माजरा तहसील व जिला फतेहबाद (हरि.)
2. रितू बिश्नोई पुत्री कृष्ण कुमार जाति बिश्नोई निवासी ढाणी 12 के.एस.डी. रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

-वादीगण

बनाम

- 1 कृष्ण लाल पुत्र राजाराम जाति बिश्नोई निवासी ढाणी 12 के.एस.डी. रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- 2 एच.डी.एफ.सी. बैंक लि० शाखा सादुलशहर
- 3 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 3-9-2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल क्लर्क रोबरू हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिंवल अभिभाषक वादी व श्री परविन्द्र सिंह अभिभाषक प्रतिवादीगण मिन जामिन मुदई की उपस्थिति में वाद वादीगण स्वीकारात्मक जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज तहसील संगरिया के चक नं. 12 के.एस.डी. के खाता संख्या 91/42 अन्तिम चौसला आधार सवंत 2071-2074 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी एकल खाता कृष्णलाल में कुल खाता में दर्ज 8.8330 हैक्टेयर नहरी मय गैर ममुकिन कृषि भूमि मे से वादीया संख्या 1 ममता बिश्नोई को 2.783 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन व वादीया संख्या 2 रितु बिश्नोई को 2.783 हैक्टेयर कृषि भूमि मय गैर ममुकिन कृषि भूमि की खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

निज........निल........मुब्लिक........निल........बाबत........निल........खर्चा  मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक  को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3-9-2025 को जारी किया गया।

( जय कौशिक )

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
संगरिया